



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अपील प्रकरण क्रमांक

/2017 जिला-रायसेन

A-8001-PB/214

मैसर्स सोम डिस्ट्रिक्ट एवं प्रायवेट लिमिटेड,
सेहतगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.)

-- अपीलार्थी

विरुद्ध

प्रस्तुत

कलाल द्वारा दिलाई
राजस्व मण्डल न.प्र. ग्वालियर

- 1- आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर
- 2- उपायुक्त, आबकारी संभागीय उडनदस्ता, भोपाल
- 3- सहायक आबकारी आयुक्त, जिला रायसेन
- 4- प्रभारी अधिकारी, मैसर्स सोम डिस्ट्रिक्ट एवं प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन

-- प्रत्यर्थीगण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2016-17/4043 में पार्श्वित आदेश दिनांक 09.08.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश, आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 62 के अन्तर्गत बने अपील रिवीजन तथा रिब्यू नियमों के पैरा (2) सी के अन्तर्गत अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी कम्पनी की ओर से यह अपील निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अपीलार्थी कम्पनी मैसर्स सोम डिस्ट्रिक्ट एवं प्रायवेट लिमिटेड, सेहतगंज, जिला-रायसेन को वर्ष 2014-15 में रायसेन प्रदाय क्षेत्र में देशी मदिरा प्रदाय करने की अनुमति कार्यालय के पत्र क्रमांक 5(1)/2013-14/518 दिनांक 22.02.2014 से दी गयी थी।
2. यहकि, उपायुक्त आबकारी, संभागीय उडनदस्ता, भोपाल के पत्र क्रमांक 14-15/20 दिनांक 06.01.2015, पत्र क्रमांक आब/14-15/291 दिनांक 27.02.2015, पत्र क्रमांक आब/14-15/362 दिनांक 20.03.2015 एवं पत्र क्रमांक आब/14-15/671 दिनांक 23.05.2015 से अवगत कराया है कि मध्य प्रदेश देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) के अनुरूप मध्य भाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतल बन्द मदिरा का संग्रह रखने की अनिवार्यता के अधीन स्टोरेज मध्य भाण्डागार, रायसेन में माह नवम्बर, 2014 एवं फरवरी, 2015, मध्य भाण्डागार, गैरतगंज में माह

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 8001-पीबीआर/17

जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
7/3/19	<p>अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. गवालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2016-17/4043 में पारित आदेश दिनांक 9-8-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के पत्र क्रमांक 5(1)13-14/518 दिनांक 22-2-2014 द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2014-15 के लिए बोतलबंद देशी मंदिरा प्रदाय हेतु जिला रायसेन प्रदाय क्षेत्र आवंटित किया गया था। सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा वर्ष 2014-15 में स्टोरेज मद्यभाण्डागार रायसेन, गैरतगंज, बरेली एवं औबेदुल्लागंज में कुल 30 दिवस बोतलबंद देशी मंदिरा प्रदाय हेतु चालान लम्बित रखा गया एवं कुल 154 दिवस निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2016-17/4043 में दिनांक 9-8-2016 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही स्टोरेज मद्यभाण्डागार रायसेन में माह नवम्बर, 2014, फरवरी, 2015, मद्यभाण्डागार गैरतगंज में माह फरवरी, 2015, मद्यभाण्डागार बरेली में माह नवम्बर, 2014 से मार्च, 2015 एवं मद्यभाण्डागार औबेदुल्लागंज में माह नवम्बर, 2014 से मार्च, 2015 तक की अवधि में कुल 30 दिवस बोतलबंद देशी मंदिरा प्रदाय हेतु चालान लम्बित रहने से रूपये 500/-</p>	

0001

Ch

प्रतिदिन के मान से रूपये 15,000/- तथा 154 दिवसों में बोतलबंद देशी मंदिरों का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 38,500/- इस प्रकार कुल रूपये 68,500/- की शास्ति अधिरोपित की गई। आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी द्वारा आवश्यकता एवं मांग के अनुसार निरंतर मंदिरों का प्रदाय किया गया है, जिससे प्रदाय व्यवस्था सकुशल रही है। तर्क में यह भी कहा गया कि 25 मार्च के पूर्व ही प्रदाय दिये जाने के उपरांत भी आसवक द्वारा मद्यभाण्डागारों रायसेन में 13412 प्रुफ लीटर, गैरतगंज में 28680 प्रुफ लीटर, बरेली में 16327 प्रुफ लीटर एवं औबेदुल्लागंज में 11780 प्रुफ लीटर सीलबंद बोतलों में स्कंध का अवशेष था, जिससे स्पष्ट है कि शासन को अतिरिक्त आय हुई है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि किसी भी फुटकर ठेकेदार द्वारा मंदिर दुकान बंद रहने के कारण क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की गई है और न ही फुटकर ठेकेदारों की मांग के अनुसार प्रदाय देने में कोई विलम्ब हुआ है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चालान लम्बित रहने का को आरोप लगाया है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही शासन को राजस्व की कोई हानि हुई है, अतः अपीलार्थी कम्पनी पर अधिरोपित शास्ति अपास्त किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत उत्तर पर कोई विचार नहीं किया गया है और न ही उनका आदेश में उल्लेख किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध एवं अनुचित होकर

निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ प्रत्यर्थी शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय मद्यभाण्डागारों में उपरोक्त अवधि में कुल 30 दिन चालान लम्बित रखा गया एवं कुल 154 दिवसों में बोतलबंद देशी मंदिरा का संग्रह निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है, जो कि नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है। अतः अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे आबंटित जिला रायसेन के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों रायसेन, गैरतगंज, बरेली एवं औबेदुल्लागंज में आलोच्य अवधि में कुल 154 दिवस बोतलबंद देशी मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध नहीं रखा गया है एवं कुल 30 दिवस बोतलबंद देशी मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम नहीं रखे जाने से देशी मंदिरा प्रदाय के चालान लम्बित रहे हैं, जबकि म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 (जिसे संक्षेप में म.प्र. देशी स्प्रिट नियम कहा जायेगा) के नियम 4(4) के अनुसार प्रदाय संविदाकार द्वारा स्टोरेज मद्यभाण्डागार में विगत माह के 5 दिन के औसत प्रदाय के समतुल्य भरी हुई बोतलबंद मंदिरा का निर्धारित न्यूनतम स्कंध रखना अनिवार्य है। अपीलार्थी कम्पनी द्वारा की गई उक्त अनियमितता के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर, उत्तर प्राप्त किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी का उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया है। अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य म.प्र. देशी स्प्रिट नियमों के नियम 4(4) का उल्लंघन होकर नियम 12(1) के तहत दण्डनीय होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 15,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही उपरोक्त मद्यभाण्डागारों में आलोच्य अवधि में कुल 30 दिवस बोतलबंद देशी मंदिरा प्रदाय हेतु चालान लम्बित रहने से 500/- रूपये प्रतिदिन के मान से रूपये 15,000/- तथा 154 दिवस बोतलबंद देशी मंदिरा का न्यूनतम स्कंध नहीं

रखने से रुपये 250/- प्रतिदिन के मान से कुल रुपये 38,500/- कुल रुपये 68,500/- शास्ति अधिरोपित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं होने से अपील निरस्त की जाती है।


अध्यक्ष


अपील करने वाले की ओर से दर्शित होने वाली अपील का अधिरोपित